थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.04.2024 को श्री सत्यम अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री भास्कर मिश्र द्वारा देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम व शान्ति व्यवस्था, तलाश वाँछित वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति के दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 130/2024 धारा 363/376 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त योगेश अनुरागी पुत्र नवल किशोर अनुरागी निवासी ग्राम बुधौरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा उम्र 19 वर्ष को श्रीनगर तिराहा जैतपुर से गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

प्र0 निरी0 भास्कर मिश्र थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
का0 राजेश कुमार ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

योगेश पुत्र नवल किशोर अनुरागी उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम बुधौरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा ।

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.04.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम में उ0नि0 श्री बुद्धिसागर द्वारा तलाश वाँछित/वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन से एक नफर वारण्टी अभियुक्त गणेश पुत्र स्व0 हरदयाल उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम पलका थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा सम्बन्धित परिवाद संख्या 5202/23 धारा 138 एनआईए एक्ट सम्बन्धित माननीय न्यायालय जेएम प्रथम महोबा को ग्राम पलका महोबा से गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर वारंटी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभियुक्त गणेश पुत्र स्व0 हरदयाल उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम पलका थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री बुद्धिसागर थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
2. हे0का0 श्याम यादव

थाना कबरई की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.04.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कबरई प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम में उ0नि0 रामकिशन यादव द्वारा तलाश वाँछित/वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन से एक नफर वारण्टी अभियुक्त छोटे पुत्र मुल्लूनट उम्र 48 वर्ष निवासी मु0 मराठीपुरा कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा जो थाना हाजा का मजारिया एचएस है को मान0 न्यायालय (एफ.टी.सी) महोबा G.S.T. No. 74/2010 सर/अफसर आदि धारा 2/3 G.S.T Act अ0सं0 2211/2009 थाना कबरई जनपद महोबा से सम्बन्धित को मु0 मराठीपुरा कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर वारंटी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 रामकिशन यादव थाना कबरई जनपद महोबा।
2. कां0 अवनेश कुमार
3. कां0 अमित कुशवाहा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. छोटे पुत्र मुल्लूनट उम्र 48 वर्ष निवासी मु0 मराठीपुरा कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 09.04.2024

मीडिया सेल, महोबा

“साइबर जागरूकता अभियान” के अंतर्गत थाना कोतवाली नगर महोबा के अधि0/कर्म0 गण द्वारा एकता पैलेस, रामकथा मार्ग में कोचिंग के छात्र -छात्राओ को साइबर अपराध से कैसे बचें? तथा साइबर अपराध की घटना घटित होने पर क्या करें? क्या ना करें ? आदि के संबंध में जागरूक किया गया।

बढते हुये साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा की पहल पर साइबर अपराध से बचाव हेतु अभियान “ऑपरेशन ज्ञान कवच” चलाया जा रहा है, ऑपरेशन ज्ञान कवच अभियान के तहत आज दिनांक 09.04.2024 को थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र के रामकथा मार्ग अवस्थित एकता पैलेस में साइबर जगरुकता चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें कोचिंग में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को एकत्रित कर उनसे साइबर अपराध के सम्बन्ध में संवाद कर साइबर अपराध एवं उनकी रोकथाम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही मौजूद छात्र-छात्राओं द्वारा साइबर अपराध के सम्बन्ध में पूछे गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर/जानकारी प्रदान की गई व सभी को संतुष्ट किया गया।

इस साइबर जागरुकता चौपाल में थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम द्वारा जागरुक करते हुए बताया गया कि वह सोशल साइट का प्रयोग करते समय व अन्य सोशल कार्य करते समय किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने, किसी से भी अपने एटीएम की डिटेल शेयर/साझा न करने, किसी भी अनाधिकृत सोशल मीडिया साइट से किसी प्रकार की खरीदारी न करने। सिम क्लोनिंग, धम्ब क्लोनिंग से कैसे बचे एक स्ट्रांग पासवार्ड बनाना। स्क्रीन शेयरिंक एप्प जैसे **team viewer, any desk , quick support** जैसे एप्प मोबाइल में डाउनलोड न करने। **Whatsapp,** फेसबुक, इंस्ट्राग्राम व अन्य सोशल मीडिया साइट पर टू-स्टेप-वैरिफिकेशन ऑन करके रखने। किसी भी अनजान वीडियो काल को रिसीव न करने। किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिग से परेशान न हों। किसी भी साइबर अपराध के सम्बन्ध में साइबर हेल्प लाइन न0 1930 या बेवसाइट **cybercrime.gov.in** पर शिकायत करें या नजदीकी थाने में बनी साइबर सेल पर अपनी समस्या बताते हुए शिकायत दर्ज करायें।

इस दौरान प्रशिक्षु उ0नि0 क्रमशः संदीप विमल, अभिनव सिंह, दीक्षा, निकिता शुक्ला। कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए अभिषेक कुमार, म0का0 विभा सिंह, म0 का0 प्रिया सिंह सहित काफी संख्या में छात्र एवं छात्राएं/बालिकाएं मौजूद रहीं।